सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 28, 2023

संख्या प. 2 (14)वन/2023 :-चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व/अधिकार है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वचारी (Entitled) है

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 उपधारा (1) के अन्र्तगत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है.

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेख बद्ध नहीं किये गये है.

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जाँच किया जाना तथा उन्हे लेख बद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूँकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है,

इसलिए अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी / सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हे लेख बद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच, साक्ष्य तथा अभिलेखन उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8. 10. 11 (2), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावधान है

और उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन क्षेत्र के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितिय अनुसूचि में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हो जायेंगे और

पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निमार्ण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि)

द्वितिय अनुसूची (आरक्षित किये गये वृक्षों की सूची)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूचि (वन भूमि और बंजर भूमि)

<table>
<tr><th>क्र.स</th><th>नाम ब्लॉक</th><th>नाम तहसील</th><th>नाम जिला</th><th>दिशावार सीमा विवरण</th><th colspan="7">विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td colspan="7">6</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="11">चक 1 बीएम (ए) (न्यू बन्दली)</td><td rowspan="11">खाजूवाला</td><td rowspan="11">बीकानेर</td><td rowspan="11">वन खण्ड-चक 1 बीएम (ए) (न्यू बन्दली)
मुरब्बा नं. 93/43

पूर्व- निजी काश्तकार मु0नं0 93/51

पश्चिम- निजी काश्तकार मु0नं0 93/35

उत्तर- निजी काश्तकार मु0नं0 93/42

दक्षिण- अराजीराज सरकारी भूमि मु0नं0 93/43 के किला नम्बर 9 ता 25</td><td colspan="7">कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के पत्राक एसडीओ/खाजू/ राजस्व/2016/3009 दिनांक: 29.12.2016 द्वारा वन विभाग के नाम अमलदरामद (Mututed)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">क्र.स.</td><td rowspan="2">खसरा नम्बर / मुरब्बा नम्बर</td><td colspan="3">क्षेत्रफल</td><td rowspan="2">भूमि किस्म</td></tr>
<tr><td colspan="2">रकबा</td><td>हेक्टर में</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>बीघा</td><td>बिस्वा</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 1</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 2</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 3</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 4</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 5</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 6</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>7</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 7</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td>8</td><td>मु० नं० 93/ 43 कि०न० 8</td><td>1</td><td>0</td><td>0.2529</td><td>अनकमाण्ड</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>कुल योग</td><td>8</td><td>0</td><td>2. 0232</td><td></td></tr>
</table>

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
61 आरडी केवाईडी

हस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प. स्टेज-1
छत्तरगढ़

द्वितिय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

क्षेत्र में मौजदू वनस्पति की सूची

क्र.स.	नाम प्रजाति (स्थानीय / हिन्दी नाम)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल नाम)
1	बंवली	Acacia jaquemontii
2	कुमठा	Acacia senegal
3	हींगोट	Balanites aegyptiaca
4	फोग	Calligonum polygonoides
5	धामन	Grewin asiatica, Royle
6	खींप	Leptadenia Reticulata Wight & Arn
7	खेजड़ी	Prosopis cineraria
8	पीलू	Salvadora Oleoides
9	जाल	Salvadora perseca
10	रोहेडा	Tecomella undulata
11	बेर	Zizyphus jujuba Lam
12	इजराईल बबूल	Acacia tortalis
13	अरडू	Ailanthus excelsa
14	खेजडी	Prosopis cineraria
15	बेर-झाड़ी	Zizyphus Numularia
16	कैर	Caparis aphylla
17	आक	Calotripis procera R. Sr
18	सेवन घास	Lasiuress Sindieus
19	कंकेडा	Maytenus Emarginata
20	घंटिल घास	Dactylocitinium Aegyptium
21	घंटिल घास	Dactylocitinium scindicum

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
61 आरडी केवाईडी

हस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प. स्टेज-1
छत्तरगढ़

परिशिष्ट-'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नही होता है उसे काट दें)

वनखण्ड - चक 1 बीएम (ए) (न्यू बन्दली)

रेंज - 61 आरडी केवाईडी

वन मण्डल - छत्तरगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः अनकमाण्ड / वनविभाग / पूर्ण विभागीय भूमि दर्ज है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग : हिस्सा- पूर्ण विभागीय भूमि के रूप में दर्ज है। इस वन भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0. 05 है । इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों यथा फोग, खीप, सेवण, बुई, का लगभग प्रतिशत 80 प्रतिशत है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र अराजीराज का है तथा वन भूमि के चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
5. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिषाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
6. एक मुरब्बा भूमि में 25 बीघा अथवा 25 किले जमीन होती है। एक बीघा अथवा एक किला भूमि का माप 165 फुट गुणा 165 फुट होता है। एक बीघा अथवा एक किला भूमि में कुल 20 बिस्वा भूमि होती है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि, वनभूमि चक 1 बीएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 93/11 के किला नम्बर 1, 2, 3/0.11, 8/0. 10, 9, 10, 11/0.17, 12, 13/0.10, 18/0.10, 19/0.02 की कुल 8.00 बीघा में स्थापित सीमा चौकी न्यू बन्दली (Border out post) के बदले क्षतिपूर्ति में वन विभाग को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के पंत्राक एसडीओ/खाजू/राजस्व/2016/3009 (II) दिनांक 29.12.2016 द्वारा चक 1 बीएम (ए) का मुरब्बा नम्बर 93/43 के किला नम्बर 1 ता 8 में कुल तादादी 8.00 बीघा अर्थात् 2.0232 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि आवंटन किया गया है। अतः उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
61 आरडी केवाईडी

हस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प. स्टेज-1
छत्तरगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।